30

निग /3051/ II/15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैंप,भोपाल

रिवीजन प्र.क. पी/15

श्रीमती प्रेमबाई पत्नी श्री बोंदर सिंह,आयु 57 वर्ष,
निवासी-ग्राम सोयत तहसील रेहटी जिला-सीहोर ....रिवीजनकर्ता

विरूद्ध

ममताबाई पत्नी श्री स्वरूप सिंह
निवासी-ग्राम सोयत तहसील रेहटी जिला-सीहोर ....अनावेदक

राजस्व रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

विद्वान न्यायालय अपर कमिश्नर भोपाल संभाग भोपाल द्वारा प्र.क.122/ए/12-13 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 से व्यथित एवं विक्षुब्ध होकर सुदृढ़ तथ्यों एवं ठोस वैधानिक आधारों पर रिवीजन अविलंब निर्धारित न्याय शुल्क के साथ समयावधि में प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त सुसंगत तथ्य

01. यह कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार नसरूल्लागंज जिला सीहोर द्वारा ग्राम सोयत तहसील नसरूल्लागंज नई तहसील रेहटी जिला सीहोर की नामांतरण पंजी कमांक 21 दिनांक 29.02.1999 पर रिवीजनकर्ता के स्वामित्व, आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नं.241/163/3/2 रकबा 3.00 एकड़ पृथक बटान कर अनावेदक ने अपने नाम नामांतरण पंजी में बिना किसी वैधानिक हक अधिकार के दिनांक 03.06.1999 को अपना नाम दर्ज करा लिया जिसकी प्रथमतः जानकारी होने पर वर्ष 2006 में रिवीजनकर्ता ने प्रथम अपील मय आवेदन धारा 5 परिसीमाअधिनियम पेश किया जिसे उन्होंने आदेश दिनांक 21.07.2007 द्वारा अपील समयावधि बाह्य होने से निरस्त कर दी जिसके विरूद्ध रिवीजनकर्ता द्वारा अपर आयुक्त भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्र.क.167/ अपील/06-07 आदेश दिनांक 15.04.2009 को समय सीमा के बिन्दु पर आदेश पारित न कर अंतिम आदेश पारित कर नामांतरण पंजी कमांक 21 की समस्त प्रविष्टि को निरस्त कर रिवीजनकर्ता का नाम पुनः राजस्व प्रलेखो में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जिसके परिपालन में निर्धारित अपील अवधि पश्चात् तहसीलदार रेहटी रिवीजनकर्ता के नाम राजस्व प्रलेखो में दर्ज हुआ।

निरन्तर.....2

R3051-II/15 सीहोर
प्रेम बाई / ममता बाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ... पकों आदि के हस्ताक्षर
19-7-16	आवेदक अभिभाषक श्री यशवन्त साहू अनुपस्थित / मोबाइल पर सूचना दी / कोई उपस्थित नहीं / अत: आवेदक अभिभाषक की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है /	
	सदस्य	

शाक्षेमुग्वा—355—फॉर्म—3-2-16—30,000 प्रपत्र.